

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

2/2021
11-1-2021

रामगोपाल पुत्र हरिराम नामा जाति छीपा निचारी ग्राम-सोप तहसील उनियारा जिला
टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला- टोक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 28-10-2020 मिसल नम्बर 1235/2020

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कुमार कासलीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 22-9-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 28-10-2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 2125 रकबा 0.22 है०, खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है० खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है० कुल रकबा 0.86 है०, वाके ग्राम सोप तह० उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से वेदखल करने 1574/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। अपीलान्ट का उपरोक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है और भूमि पर कोई



- अतिक्रमण भी नहीं है, मौके पर कोई कुआ भी नहीं है लेकिन उसके उपरोक्त भी बिना किसी सक्षम साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में भी इसी भूमि को लेकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था जिसका अपील सं० 31/2020 है, उक्त निर्णय से पूर्व ही अपीलान्त ने उक्त भूमि पर से अपना कब्जा स्वेच्छा से हटा कर उक्त सम्बन्ध में शपथ पत्र भी न्यायालय के सम्मुख पेश कर रख है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की असत्य व झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही अगल में लाई गई है। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4-1-2021 को प्राप्त हुई जब पुलिस थाने से कारस्टेवल अपीलान्त के गाँव गया ओर निर्णय के बारे में अपीलान्त के परिजनो को बताया। अपीलान्त उक्त समय गाँव में नहीं था गाँव आने पर जानकारी होने पर दिनांक 7-1-2021 आवेदन पेश कर नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय में अपील पेश की है, जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है। क्षमा करने हेतु पृथक से धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 2124 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 2125 रकमवा 0.22 है०, खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है० खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है० कुल रकबा 0.86 है०, वाके ग्राम सोप तह० उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्त ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1900/2020 निर्णय दिनांक 18-2-2020 से वेदखल किया गया था। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।


विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त द्वारा खसरा नम्बर 2124 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 2123 रकबा 0.05 है०, खसरा नम्बर 2125 रकमवा 0.22 है०, खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.13 है० खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.16 है० कुल रकबा 0.86 है०, वाके ग्राम सोप तह० उनियारा में राजकीय कुए को भरकर समतल कर भूमि पर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं वयानो से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण जोत कर अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 1900/2020 निर्णय दिनांक 18-2-2020 के द्वारा वेदखल किया गया था। अपीलान्त द्वारा दिनांक 17-9-2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2124, 2123, 2125, एवं 2127 पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, न ही उक्त

f

भूमि पर मेरा कोई कच्चा पक्का निर्माण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 28-10-2020 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक